

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
हाईलैण्ड हॉल कांवेंट स्कूल
आसनवाली पुवारका, सहारनपुर।

पत्रांक / मान्यता /

३१७-९

/ 2015-16 / दिनांक ७/५/१५

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन प्रबन्धक, हाईलैण्ड हॉल कांवेंट स्कूल आसनवाली पुवारका, सहारनपुर की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं, प्रबन्धक, हाईलैण्ड हॉल कांवेंट स्कूल आसनवाली पुवारका, सहारनपुर को दिनांक 01.04.2015 से आगामी तीन वर्षों तक की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनन्ति मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उक्त मंजूरी शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग 6 लखनऊ दिनांक 08 मई 2013 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / सम्बंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उपाबंध 1 और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 उपाबंध 2 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति नर्सरी कक्षा) में, उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ौस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता खोलेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा—
 - (1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (2) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकर्थित न्यूनतम अर्हता के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यामान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हता नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हता अर्जित करेंगे।
- (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विर्तिविर्द्ध अपने कर्तव्यों का पालन करता है। और (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्य चर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाये निम्नानुसार है।
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल

(2)

कक्षाओं की संख्या

प्रधानाध्यापक सह कार्यालय, सह भण्डारागार के लिए कक्ष
बालक-बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई

बाधा रहित पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री / कीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

11. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टेड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए – प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजनी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक F003/15 है। कृपया इसे नोट कर लें। और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याका का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो। और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य-करण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाये।

16. सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि हो तो सुनिश्चित किया जाये।

17. संलग्न उपांग के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी

(विनय कुमार)
जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर

/2015-16/ दिनांक तदैव। ७/५/१५

पृ० सं०/मान्यता/ ३१ न - १९

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सहायक शिक्षा निदेशक, (बैसिक), सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

2. सम्बन्धित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद- सहारनपुर।

जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर।